

सूचना

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राधिकरण की कौशल्या माता विहार सेक्टर-1, 4, 11बी, 14ए ई.डब्ल्यू.एस. (2बी.एच.के.) एवं इन्द्रप्रस्थ फेस-02 रायपुरा ई.डब्ल्यू.एस. (1बी.एच.के.) फ्लैट्स के अन्तर्गत रिक्त हुए फ्लैट्स के पुर्नविक्रय हेतु दिनांक 06.11.2025 तक आनलाईन के माध्यम से आवेदन मंगाए गए थे जिसके परीक्षण/जांच उपरान्त पात्र/अपात्र की सूची संलग्न है।

अतः इस संबंध में प्राप्त आनलाईन के माध्यम से आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के संबंध किसी आवेदक को कोई दावा/आपत्ति हो तो दिनांक 16.01.2025 तक स्वीकार्य किये जायेगे।


अति० मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ०ग०)